न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 60/2019 राजस्व वाद

इन्दरलाल पिता स्वर्गीय धूला जी भील आयु 50 वर्ष निवासी–देपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–वादी

बनाम

1. बालू पिता स्व0 बाबूडीया जी भील जाति भील आयु वयस्क निवासी देपुर तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. गणेश पिता स्व0 बाबूडीया जी भील जाति भील आयु वयस्क निवासी देपुर तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित : 1. श्री भरतगिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी

2. श्री चन्द्रशेखर, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 2

: : निर्णय : :

दिनांक :–20.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से यह वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम देपुर तहसील नाथद्वारा मे कुल आराजी किता 5 कुल रकबा 02–05 बीघा स्थित है। वादी के परिवार का सजरा निम्न है:–

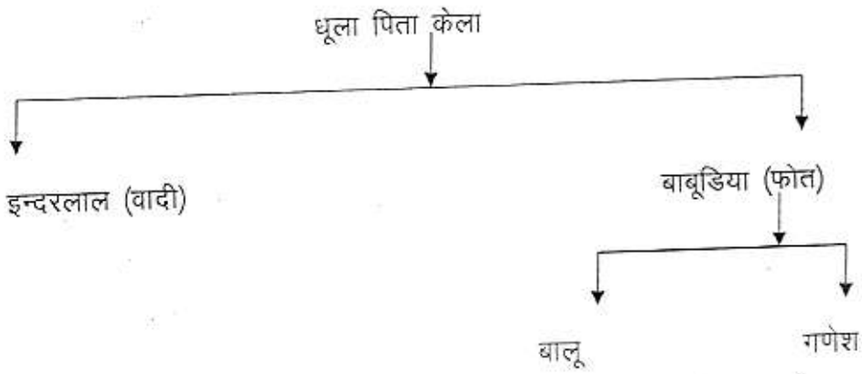

वादी के पिता उक्त भूमियो मे 1/4 हिस्सा था और उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके पश्चात् विरासत का नामान्तरण खोला गया, जिसमे वादी के भाई का नाम बाबूडीया दर्ज किया गया और वादी का नाम सहवन से दर्ज करना रह गया। वादी अनपढ होकर ग्रामीण परिवेश मे रहता है और उसे उक्त विरासत के नामान्तरण की अब तक कोई जानकारी नही थी और दिनांक 09.04.19 को पटवारी हल्का मण्डियाना के पास नकल लेने गया तो उसे जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने से रह गया है। उक्त कृषि भूमिया होकर वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् वादी का नाम भी विरासत से दर्ज किया जाना चाहिये था जो कि नही किया गया और वादी के भाई बाबूडिया का नाम

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

दर्ज कर दिया और बाबूडिया का भी स्वर्गवास हो चुका है और उसके प्रतिवादी सं. 1 व 2 वैधानिक उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधि है। कृषि भूमियो मे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है। उपरोक्त रूप से वादी उक्त कृषि भूमियो में अपने भाई स्व. बाबूडीया के साथ अपना नाम भी राजस्व अभिलेखो मे दर्ज कराने का अधिकारी है और वादी का उक्त कृषि भूमियो मे 1/8 हिस्सा होने की घोषणा कराने का अधिकारी है और इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती कराने का भी अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादी का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज कराने हेतु दिनांक 09.04.2019 को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। प्रतिवादी सं. 3 को उक्त वाद धारा 80 जा.दी. का सूचना पत्र दिये बिना प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 के विरूद्ध घोषणा की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित भूमियो मे वादी स्व0 धूला का वारीस होने से उसका 1/8 हिस्सा निहित है और उक्त आशय का इन्द्राज राजस्व अभिलेखो मे किये जाने की डिक्री फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 मय अधिवक्ता उपिस्थत। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से निवेदन किया गया कि लोक अदालत की भावना से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे चाही गई दाद अनुसार स्वीकार होकर हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम देपुर तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2054–57 के अवलोकन से खाता सं. 162 की कुल आराजी किता 5 कुल रकबा 02–05 बीघा जरिये नामान्तरण सं. 532 विरासत से धूला पिता केला भील के बजाय बाबूडिया पिता धूला भील के नाम दर्ज होनी की स्वीकृति होना प्रतीत होता है। वर्तमान मे भी राजस्व ग्राम देपुर तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2070–73 कुल आराजी किता 5 कुल रकबा 02–05 बीघा मे बाबूडिया पिता धूला 1/4 के नाम के बजाय विरासत से बालूराम गणेश पिता बाबू 1/4 हिस्से मे खातेदार दर्ज होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे पर कोई आपत्ति प्रकट नही की गई है एवं वादी द्वारा भी दावे के साथ शपथ पत्र पेश किया है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य आपसी राजीनामा होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है –

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देपुर तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2070–73 कुल आराजी किता 5 कुल रकबा 02–05 बीघा में "**बालूराम गणेश पिता बाबू 1/4 के बजाय बालूराम गणेश पिता बाबू 1/8 इन्दरलाल पिता स्व धूलाजी 1/8**" को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्रि पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **20.08.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.8.19

(निशी)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द